

भारतीय रिज़र्व बैंक

पर्यवेक्षण विभाग चेत्रे क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF SUPERVISION CHENNAI REGIONAL OFFICE



पंजीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं) (Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या

B-07.00141

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग जिएमजे फिनटेक लिमिटेड

करते हए (पूर्व में मिनाक्षी एन्टरप्राइजेस लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

दसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाराशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैं किंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने/करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the

Reserve Bank of India Act, 1934

JMJ Fintech Limited

(formerly known as Meenakshi Enterprises Limited) is hereby granted

Certificate of Registration

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन

में सितम्बर दो हजार

बाईस

की

सात

तारीख को जारी किया गया।

Given under my hand at चेन्ने कार्यालय / Chennai Office

this Seventh day of September

Two Thousand

Twenty Two

(In lieu of earlier CoR No. 07.00141 dated 09/03/1998)

Allew

डी. सतीश कुमार / D. Sathish Kumar महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक

General Manager / Deputy General Manager

